न्यायालय : अनन्य विशेष उत्पाद न्यायाधीश, शेखपुरा।
उपस्थितिः– प्र0–सतीश कुमार झा
जमानत आवेदन सं0–322/2026
उत्पाद थाना कांड सं0–128/26
बिहार राज्य बनाम् पूजा देवी उर्फ रूपा देवी।

पूजा देवी उर्फ रूपा देवी, पति–टिट्टू कुमार उर्फ पिट्टू, उम्र लगभग 23 वर्ष, साकिन–जगदीशपुर, थाना–जयरामपुर, जिला–शेखपुरा। ....आवेदिका।

वनाम

बिहार सरकार .... विपक्षी।

आवेदिका की ओर से : श्री विपीन कुमार, विद्वान अधिवक्ता।

विपक्षी की ओर से : श्री अरविंद कुमार, विद्वान विशेष लोक अभियोजक।

आ दे श

07.04.2026 काराधीन अभियुक्ता पुजा देवी उर्फ रूपा देवी की ओर से नियमित जमानत आवेदन दाखिल किया गया है, जो कि दिनांक 18.03.2026 से काराधीन है। उत्पाद थाना कांड सं0–128/26 के अंतर्गत 30(a) Bihar Prohibition & Excise (Amendment) Act 2018 से उद्भूत है तथा इसी न्यायालय में लम्बित है, सुनवाई हेतु प्रस्तुत किया गया। उक्त जमानत आवेदन को आवेदिका के विद्वान अधिवक्ता द्वारा संचालित किया गया।

आवेदिका के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि ये पूर्णतया निर्दोष हैं। इन्होंने कोई अपराध नहीं किया है, बल्कि इन्हें इस वाद में झूठा फंसाया गया है। आवेदिका के द्वारा पूर्व में इसके अलावा अन्य कोई नियमित या अग्रिम जमानत आवेदन किसी भी न्यायालय में दाखिल नहीं किया गया है। अभियुक्ता के विरुद्ध पूर्व में कोई आपराधिक इतिहास दर्ज नहीं है। प्राथमिकी धारा 30(a) Bihar Prohibition & Excise (Amendment) Act 2018 के अंतर्गत दर्ज किया गया है। अभियोजन पक्ष की पूरी कहानी झूठी और मनगढंत है, इसमें सच्चाई का कोई अंश नहीं है। इस मामले में बी0एन0एस0एस0 का अनुपालन नहीं किया गया है। इस मामले में कोई स्वतंत्र गवाह नहीं मिला है और सभी गवाह पुलिस बल दल के सदस्य है। आवेदिका के पास से या उसके कब्जे से शराब की एक बुंद भी जप्त नहीं की गयी है। आवेदिका जमानत की सुविधा का कभी दुरूपयोग नहीं करेगी एवं न्यायालय का हर आदेश मानने को तैयार है। आवेदिका दिनांक 18.03.2026 से काराधीन है। अतः इनको जमानत की सुविधा प्रदान की जाय।

इसके विपरीत, विद्वान विशेष लोक अभियोजक द्वारा उक्त जमानत का विरोध किया गया। अतः उपरोक्त अभियुक्ता को जमानत आवेदन खारिज किया जाए।

न्यायालय : अनन्य विशेष उत्पाद न्यायाधीश, शेखपुरा।
उपस्थितिः— प्र0—सतीश कुमार झा
जमानत आवेदन सं0—322 / 2026
उत्पाद थाना कांड सं0—128 / 26
बिहार राज्य बनाम् पूजा देवी उर्फ रूपा देवी।

लगातार

07.04.2026 उभयपक्षों को सुना। अभियोजन का मामला संक्षेप में है कि उत्पाद थाना को दिनांक 17.03.2026 को समय करीब 06:00 PM बजे गुप्त सूचना मिला कि जयरामपुर थाना अंतर्गत जगदीशपुर गांव में पूजा देवी उर्फ रूपा देवी, पति—टिट्टू कुमार उर्फ पिट्टू के द्वारा अपने घर से चुलाई शराब का बिक्री की जा रही है। प्राप्त सूचना को सत्यापित करने हेतु वरीय पदाधिकारी को अवगत कराया, जिन्होंने मेरे नेतृत्व में एक छापामारी दल का गठन किया गया, जिसमें गृहरक्षक, म0नि0 सिपाही, महिला सिपाही तथा सैप बल के जवानों को छापेमारी दल में शामिल कर समय करीब 07:300 PM बजे जयरामपुर थाना अंतर्गत जगदीशपुर गांव में पूजा देवी उर्फ रूपा देवी, पति—टिट्टू कुमार उर्फ पिट्टू के घर के पास पहुंचा, तो देखा कि एक महिला अपने घर से एक प्लास्टिक के बोरा लेकर लेकर तेजी से निकल रही है, तो शक के आधार पर उक्त महिला सिपाही के द्वारा उसके घर के सामने पश्चिम दिशा में परती जमीन में ही रोक लिया गया। रोकी गयी महिला को अपना पहचान बताकर नाम पता पूछने पर उसने अपना नाम पूजा देवी उर्फ रूपा देवी, पति—टिट्टू कुमार उर्फ पिट्टू, उम्र लगभग 23 वर्ष, साकिन—जगदीशपुर, थाना—जयरामपुर, जिला—शेखपुरा बतायी। तत्पश्चात तलाशी नियमों का विधिवत पालन करते हुए नियमानुसार उक्त महिला के कब्जे वाले प्लास्टिक की बोरा की तलाशी लेने पर बोरा से 03 प्लास्टिक के पन्नी में बंधा 250 एम0एल0 का 24 पाउच चुलाई शराब मिला। कुल चुलाई शराब की मात्रा—06.000 लीटर बरामद व जप्त किया गया। विधिवत नियमों का पालन करते हुए जप्ती सूची में अंकित किया गया तथा गिरफ्तारी मेमो बनाकर अभियुक्ता को गिरफ्तार किया गया।

अभिलेख का अवलोकन किया। अवलोकन से यह विदित होता है कि प्राथमिकी धारा 30(a) Bihar Prohibition & Excise (Amendment) Act 2018 के अंतर्गत दर्ज किया गया। अभियुक्ता इस वाद में दिनांक 18.03.2026 से काराधीन है। कांड दैनिकी की मांग की गयी थी, परन्तु अभी तक अप्राप्त है। घटनास्थल से 06.000 लीटर देशी चुलाई शराब बरामद किया गया है। जमानत आवेदन के पारा तीन के अनुसार अभियुक्ता के विरूद्ध पूर्व में आपराधिक इतिहास दर्ज नहीं है। आवेदिका महिला है। इनके विरुद्ध अनुसंधान जारी है।

न्यायालय : अनन्य विशेष उत्पाद न्यायाधीश, शेखपुरा।
उपस्थितिः– प्र0–सतीश कुमार झा
जमानत आवेदन सं0–322 / 2026
उत्पाद थाना कांड सं0–128 / 26
बिहार राज्य बनाम् पूजा देवी उर्फ रूपा देवी।

लगातार

07.04.2026

अतः उक्त सभी तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुए आवेदिका को जमानत की सुविधा प्रदान किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। इसलिए आवेदिका की ओर से दाखिल उक्त जमानत आवेदन को स्वीकार करते हुए आवेदिका की ओर से दस हजार रूपये के जमानत बंधपत्र एवं उसी समान राशि के दो प्रतिभू न्यायालय में दाखिल करने पर जमानत पर छोड़ने का आदेश दिया जाता है। साथ ही अभियुक्ता को निर्देश दिया जाता है कि एक जमानतदार सगे–संबंधी होंगे तथा इस आशय का शपथ पत्र के साथ अंडरटेकिंग दाखिल करेंगे कि––

1. इस तरह की घटना में दुबारा सम्मिलित नहीं होंगी।
2. आवेदिका आरोप गठन तक प्रत्येक तिथि को न्यायालय में उपस्थित रहेंगी,
3. आवेदिका के विरूद्ध आपराधिक इतिहास पाये जाने पर इनका बंधपत्र स्वयं खंडित माना जाएगा।
4. अभियुक्ता द्वारा न्यायालय के आदेश का उल्लंघन करने पर अभियोजन आग्रहनुसार इनका बंधपत्र खंडित कर दिया जाएगा।

लेखापित

अनन्य विशेष उत्पाद न्यायाधीश,
शेखपुरा।
दिनांक 07–04–2026.

Date of Judgment/ Order	07–04–2026
Date of Reserving Judgment/Order	07–04–2026
Uploading Date	08–04–2026
Uploaded by	Naveen Kumar Chaudhary.